न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम् बक्सर

नियमित जमानत आवेदन संख्या–110/2026

देवेन्द्र यादव

बनाम

बिहार सरकार

आवेदक की ओर से विद्वान् अधिवक्ताः––––––––––श्री कृपा शंकर राय

सरकार की ओर से विद्वान् लोक अभियोजकः–––––श्री केदारनाथ तिवारी

उपस्थित,

सुनील कुमार सिंह (V)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, बक्सर

दिनांकः–30वीं/मार्च/ईस्वीं सन् 2026

सिमरी थाना काण्ड सं0 38/26

आदेश

1. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त देवेन्द्र यादव पिता शिवमुनी यादव की ओर से संदर्भित सिमरी थाना काण्ड सं0 38/26 अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 117(2), 109, 125, 281, 303(2), 351(2), 352, 3(5) B.N.S. में दिनांक–09.03.2026 को दाखिल किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि विद्वान् लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। जमानत आवेदन पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया।

2. सूचक नन्दजी सिंह की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक एवं सूचक के भतीजा अभिषेक कुमार सिंह मोटरसाईकिल से दिनांक–16.02.2026 को अपने घर से विद्यालय सुबह समय 08:30 बजे जा रहे थे तभी अचानक गलत दिशा से काजीपुर मोड़ पर एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 यू0 पी0 54 टी0 5537 घोर लापरवाही एवं अपने दिशा के विपरीत आई जिसका ड्राईवर देवेन्द्र यादव सूचक के मोटरसाईकिल में धक्का मारकर जान मारने के नियत से सूचक के शरीर पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश किया। जिससे सूचक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़के किनारे चाट में गिर गया। इसके उपरांत ट्रक चालक से कहा सुनी हो गई। उसी बीच ट्रक में से संजय चौधरी, उपेन्द्र चौधरी, कुन्दन चौधरी, पप्पू चौधरी सभी लोग धारदार हथियार गड़ासा, लोहे के रड इत्यादि के साथ सूचक एवं सूचक के भतीजा पर हमला कर दिये जिससे सूचक एवं सूचक के भतीजा का सिर फट गया और पैर एवं हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया एवं सूचक के भतीजा का हाथ टूट गया। मारपीट के क्रम में सूचक के पॉकेट से पैतालिस सौ रूपया निकाल लिये तथा सूचक के भतीजा के पॉकेट से पन्द्रह हजार रूपये संजय चौधरी, उपेन्द्र चौधरी, किनू चौधरी द्वारा निकाल लिया गया। इसके बाद उसी के गॉव के चार–पांच लोगों द्वारा सूचक के साथ मारपीट की गई। हो–हल्ला करने पर जान मारने के धमकी देते हुए भाग गये।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का इसके पूर्व अग्रिम या नियमित जमानत का आवेदन न दाखिल किया गया है और न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक दिनांक–17.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उन्हें बेबुनियाद एवं बनावटी मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम कथन है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की धारा–109 भारतीय न्याय संहिता नहीं बनता है तथा

लगातार–

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम् बक्सर

उपस्थित– सुनील कुमार सिंह (V)

नियमित जमानत आवेदन संख्या–110/2026 दिनांक–30.03.2026

आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट रूप से आरोप नहीं लगाया है एवं अन्य धाराएँ जमानतीय प्रकृति की हैं। आवेदक एक ड्राईवर है जिसे सूचक ने मारपीट किया था जिसके लिए सिमरी थाना काण्ड संख्या 40/26 दर्ज किया गया है। इसी मामले से बचने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी के अनुसार मारपीट का कोई आरोप नहीं है, बल्कि यह आरोप अन्य सह–अभियुक्तों के खिलाफ है। आवेदक/अभियुक्त श्रीमान् के संतुष्टि पर किसी भी राशि का बन्ध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः अनुरोध किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

4. विपक्षी की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध सूचक एवं उसके भतीजा के साथ मारपीट कर जख्मी करने एवं पॉकेट से रूपया छिन लेने का गंभीर आरोप है। अतः अभियुक्त की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्षों को सुना एवं मूल केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। मूल काण्ड दैनिकी के कंडिका–26 के अनुसार अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–32 एवं 33 के अनुसार सूचक एवं उनके भतीजा के सर पर एक–एक जख्म पाया गया है जो कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित किया गया है, जिसका प्रतिवेदन रिजर्व रखा गया है। आवेदक द्वारा सूचक के विरूद्ध पलटा मुकदमा सिमरी थाना काण्ड संख्या 40/26 दर्ज कराया गया है। विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह बात स्वीकार किया गया है कि सूचक पक्ष स्वयं अपना एक्सरे वगैरह हॉस्पीटल से लेकर चले गये, जिस वजह से अंतिम जख्म प्रतिवेदन अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। आवेदक कथित ट्रक के चालक हैं एवं उन पर जख्म कारित करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा वे दिनांक–17.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों वो कारावधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त देवेन्द्र यादव पिता शिवमुनी यादव की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक–09.03.2026 को **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर मो0 10,000/रुपये के दो समान प्रतिभूओं सहित बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के अधीन जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करेंगे तथा साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे एवं वाद विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करेगा।

(लेखापित व शुद्धित)

हस्ताक्षर
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्,
बक्सर

Date of Jugdgment/Order- 30/03/2026
Date of Reserving judgment/Order-30/03/2026
Uploading Date- 01/04/2026
Uploaded by-Steno.